



मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन

प्रलिस के लयल:

मानव-वन्यजीव संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, FAO, UNDP

मेन्स के लयल:

मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंढतल मुद्दे और उपाय

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में बरटलन के ऑक्सफोर्ड में मानव-वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्ततलत्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजतल कयल गयल थल, जसलमें [मानव-वन्यजीव संघर्ष](#) के मुद्दे कल हल नकललने के लयल लगभग 70 देशों के हज़ारों कार्यकर्तल एकजुट हुए।

- यह सम्मेलन [अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ](#) (International Union for Conservation of Nature- IUCN), [खलदय एवं कृषल संगठन](#) (Food and Agriculture Organization- FAO), [संयुक्त राष्ट्र वकलस कर्यकरम](#) (UN Development Programme) और अन्य संगठनों द्वारा सामूहकल रूप से आयोजतल कयल गयल थल।

प्रमुख बढल

- मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान हेतु कर्य करने वलले लोगों और संस्थानों के बीच साझेदारी तथल सहयोग के वषलय पखापसी संवाद और समझ वकलसतल करने के लयल सुवधल प्रदान करना।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सह-अस्ततलत्व और बातचीत के क्षेत्र से नवीनतम अंतरदृष्टल, प्रौद्योगकलतल, वधलतल, वधलरों एवं सूचनाओं कल अंतःवषलयक और साझल समझ वकलसतल करना।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष जैववधलतल संरक्षण और अगले दशक के लयल नरलधलरतल [सतत वकलस लकष्यों](#) में शीर्ष वैश्वकल प्रलथमकलतलओं में से एक है, यह राष्ट्रीय, कषेत्रीय अथवल वैश्वकल नीतलतल तथल पहलों पर एक साथ काम करने कल अवसर प्रदान करता है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधतल करने और इसमें कमी लाने के लयल [समझ और नषलपादन भनलनतलतलओं](#) कल समस्या के नपलटलन हेतु एक सामूहकल कर्ययोजना वकलसतल करना।

सम्मेलन कल आवश्यकतल कल कारण:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष वशल्व भर में वभनलन प्रजातलतल के संरक्षण, सह-अस्ततलत्व और जैववधलतल कल सुरकषल के संदर्भ में एक प्रमुख चुनौतल है।
 - [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कर्यकरम](#) के अनुसार, इस संघर्ष से वशल्व भर में 75 फलसदी से अधकल जंगली बललतलतल कल प्रजातलतल पर नकारात्मक प्रभाव पडतल है।
- यह "पारसलथतलकल, पशु व्यवहार, मनोवजलन, कानून, संघर्ष कल वशल्लेषण, मध्यस्थतल, शांतल नरलमाण, अंतरराष्ट्रीय वकलस, अरथशास्त्र, नृ-वजलन एवं अन्य कषेतुरों के वशलषज्जों को वभनलन दृष्टकलणों के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को समझने, एक-दूसरे से सीखने तथल सहयोग प्राप्त करने के लयल एक मंच प्रदान करेगा।
 - दसंबर 2022 में जैववधलतल पर संयुक्त राष्ट्र अभसलमय में सहमत [कुनमगल-मॉन्टरयल वैश्वकल जैववधलतल फरेमवरक](#) के लकष्य-4 में मानव-वन्यजीव संपर्क कल प्रभावी प्रबंधन नरलधलरतल कयल गयल है।

मानव-पशु संघर्ष:

- परचलय:
 - मानव-पशु संघर्ष उन सथतलतलतल को संदर्भतल करता है जहाँ मानव गतवधलतलतल, जैसे कल कृषल, बुनयलदी ढाँचे कल वकलस यल संसाधन नषलकरण, में वन्य पशुओं के साथ संघर्ष कल सथतलतल होती है, इसकल वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लयल नकारात्मक परणलम




सामने आते हैं।

■ प्रभाव:

- **आर्थिक क़षति:** मानव-पशु संघर्ष के परिणामस्वरूप लोगों, विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों को महत्वपूर्ण आर्थिक क़षति हो सकती है। वन्य पशु फसलों को नष्ट कर सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा पशुधन को हानि पहुँचा सकते हैं जिससे वित्तीय कठिनाई हो सकती है।
- **मानव सुरक्षा के लिये खतरा:** जंगली जानवर मानव सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ मानव और वन्यजीव सह-अस्तित्व में रहते हैं। शेर, बाघ और भालू जैसे बड़े शिकारियों के हमलों के परिणामस्वरूप गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है।
- **पारस्थितिक क़षति:** मानव-पशु संघर्ष पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिये यदि मानव शिकारी-पशुओं को मारते हैं तो शिकार-पशुओं की आबादी में वृद्धि हो सकती है, जो पारस्थितिक असंतुलन का कारण बन सकती है।
- **संरक्षण चुनौतियाँ:** मानव-पशु संघर्ष भी संरक्षण प्रयासों के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की नकारात्मक धारणा हो सकती है तथा संरक्षण उपायों को लागू करना कठिन हो सकता है।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** मानव-पशु संघर्ष का लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों पर जिन्होंने हमलों या संपर्क के नुकसान का अनुभव किया है। यह भय, चिंता और आघात का कारण बन सकता है।

■ सरकारी उपाय:

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** यह अधिनियम गतिविधियों, शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीव आवासों के संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना आदि के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **जैव विविधता अधिनियम, 2002:** भारत **जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** का एक हिस्सा है। जैवविविधता अधिनियम के प्रावधान वनों या वन्यजीवों से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम (वर्ष 2002-2016):** यह संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क को मज़बूत करने के साथ उन्हें बढ़ाने, लुप्तप्राय वन्यजीवों एवं उनके आवासों के संरक्षण, वन्यजीव उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करने तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
- **प्रोजेक्ट टाइगर:** प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिये आश्रय प्रदान करती है।
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवासों एवं उनके गलियारों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपर्क, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- ◆ कृषि संबंधी विस्तार
- ◆ शहरीकरण
- ◆ अवसंरचनात्मक विकास
- ◆ जलवायु परिवर्तन
- ◆ वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- ◆ गंभीर चोट, जीवन की हानि
- ◆ खेतों और फसलों को नुकसान
- ◆ जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)


- ◆ समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- ◆ मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- ◆ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- ◆ पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

राज्य-विशिष्ट पहलें

- ◆ **उत्तर प्रदेश**- मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- ◆ **उत्तराखंड**- क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- ◆ **ओडिशा**- जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना


मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

	बाघ		
	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जन्ती	10	7	13



	हाथी		
	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
ट्रेनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2

वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. वाणजिय में प्राण-जिात और वनस्पत-जिात के व्यापार-संबंधी वशिलेषण (TRAFFIC) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:
(2017)

1. TRAFFIC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत एक ब्यूरो है।
2. TRAFFIC का मशिन यह सुनश्चिति करना है कविन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृतिके संरक्षण का खतरा न हो।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वाणजिय (TRAFFIC/ट्रैफिकि) में जीवों और वनस्पतियों का व्यापार संबंधित वशिलेषण, वन्यजीव व्यापार नगिरानी नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature- WWF) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृतिसंरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। यह UNEP के तहत ब्यूरो नहीं है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- TRAFFIC यह सुनश्चिति करता है कविन्य पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृतिके संरक्षण हेतु खतरा नहीं है। **अतः कथन 2 सही है।**
- TRAFFIC बाघ के अंगों, हाथी दाँत और गैंडे के सींग जैसे नवीनतम वशिव स्तर पर आवश्यक प्रजातियों के व्यापार के मुद्दों, संसाधनों, वशेषज्जता और जागरूकता पर केंद्रित है। इसमें लकड़ी एवं मत्स्य उत्पादों जैसे सामानों में बड़े पैमाने पर वाणजियिक व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है, साथ ही यह त्वरति परणाम तथा नीतिउन्नयन के प्रयासों से संबंधित है।

अतः विकल्प (b) सही है।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/conference-on-human-wildlife-conflict>